दिनांक–16.03.2022 एवं 17.03.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–16.03.2022 एवं 17.03.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं अन्य सभी प्रकार के कार्यों की बिन्दुवार गहन एवं विस्तृत समीक्षा की गई।

सर्वप्रथम दिनांक–16.03.2022 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, श्री राधामोहन प्रसाद, सेवा–निवृत, विशेष सचिव, श्री विनोद कुमार झा, बिहार भू–दान जाँच आयोग, एन0आई0सी0, सर्वे ऑफ इंडिया तथा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि, श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी, श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन, निदेशालय में पदस्थापित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–जिला नोडल पदाधिकारी एवं सभी कर्मियों की उपस्थिति में बिन्दुवार सभी संबंधित विषयों की समीक्षा कर आवश्यक निदेश दिए गए।

बैठक में सर्वप्रथम भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से किए जा रहे सभी प्रकार के कार्यों यथा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की वर्त्तमान स्थिति एवं प्रगति, आधुनिक अभिलेखागार भवन के क्रियान्वयन की स्थिति, जिला स्तर पर ETS क्रय की स्थिति, निदेशालय स्तर पर सॉफ्टवेयर विकास संबंधी कार्य इत्यादि सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के अवलोकनोपरान्त सभी बिन्दुओं पर समीक्षोपरांत निदेश दिए गए, जो निम्नवत् हैः–

(i) पूर्व से स्वीकृत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पदबल के विरूद्ध पदवार रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन निकालने अथवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में यथाशीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

(ii) पूर्व के IT Boy के 275 स्वीकृत पदबल का नामकरण संशोधित कर बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम से अथवा Outsourcing Agency के माध्यम से नियोजन करने का अनुरोध/प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया जाए।

(iii) जी0आई0एस0 सलाहकार एवं एल0आई0एस0 सलाहकार के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाए तथा पूर्व से निर्धारित मानदेय 50,0000/–रूपये रूपये के स्थान पर कम से कम 80,000/–रूपये करने पर विचार किया जाए।

(iv) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर पर कार्यरत आई0टी0 सेल में 12 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की पदस्थापना राज्य मद से कम–से–कम तीन वर्षों के लिए करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

(v) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर कार्यरत GIS द्वारा तैयार किए जा रहे प्रतिवेदनों को जिला स्तर के पदाधिकारियों के स्तर पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(vi) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति लक्ष्य अथवा निर्धारित समय–सीमा में नहीं की जाती है तो इसके लिए एजेंसी पर लगाये जाने वाले आर्थिक दण्ड की गणना करते हुए आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाए।

(vii) जिलों में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दैनिक अनुश्रवण करते हुए उनको भुगतान किए जाने वाले मानदेय में उनके द्वारा निष्पादित कार्य से लिंक करते हुए **"कार्य नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धांत पर वेतन में कटौती की जाए।

(viii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा 20 जिलों के द्वितीय चरण एवं शेष 18 जिलों में आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

(ix) अंतराष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित ग्रामों की सीमा निर्धारण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को संबंधित ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र दिया जाए। विशेष सर्वेक्षण के आरंभिक चरण में ग्राम सीमा निर्धारण के लिए बिहार की सीमा के अन्दर अवस्थित त्रिसिमाना एवं मुस्तकिल के आधार पर सीमा निर्धारित कर कार्य को निष्पादन किया जाए एवं बाद में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व सर्वे ऑफ इंडिया एवं अन्य राज्य के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक संशोधन कर लिया जाए।

(x) विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया अंतर्गत स्वामित्व निर्धारण के क्रम में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रकाशित MARBLE में श्री राधामोहन प्रसाद, सेवा–निवृत, विशेष सचिव से सुझाव प्राप्त कर आवश्यक संशोधन कर लिया जाए एवं इसकी सॉफ्ट प्रति सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उपलब्ध करा दी जाए।

(xi) विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत अधिकार अभिलेख के निर्माण में आनेवाली एवं अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए विभागीय स्तर से निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया जाए एवं इस समिति में संयोजक के रूप में सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा सदस्य में निदेशक, भू–अर्जन, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी, श्री राधामोहन प्रसाद, सेवा–निवृत, विशेष सचिव, श्री विनोद कुमार झा, बिहार भू–दान जाँच आयोग एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के विशेष सर्वेक्षण शाखा के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव को नामित किया जाए।

(xii) विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों में अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिलों के समाहर्त्ताओं को समन्वयात्मक बैठक करने का अनुरोध किया जाए।

(xiii) विशेष सर्वेक्षण की वर्त्तमान प्रक्रिया में तथा सर्वे पूर्ण होने के पश्चात् सभी प्रकार की ऑनलाईन सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए किस प्रकार का समेकित Software Solution तैयार किया जाए इसके लिए अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया जाए।

(xiv) जिला स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार (MRR) के क्रियान्वयन हेतु उपकरण तथा उपस्करों की खरीदगी हेतु जो राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है, इसके व्यय के लिए 30 जून 2022 की अंतिम समय–सीमा निर्धारित की जाए एवं इसके पश्चात् निदेशालय स्तर से समेकित रूप से राशि का व्यय किया जाए।

(xv) जिला स्तर पर ETS क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई राशि को यदि जिलों द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में (31 मार्च 2022 तक) व्यय नहीं किया किया जाता है तो उसे निदेशालय स्तर पर वापस प्राप्त कर निदेशालय स्तर से ही व्यय किया जाए।

(xvi) अभिलेखागारों में राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए एवं आरंभिक चरण में आवश्यक कागजातों की ही स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का काम किया जाए।

(xvii) विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के नोडल पदाधिकारियों द्वारा प्रक्रमवार कार्य पूरा करने की निश्चित कार्य–योजना तैयार की जाए एवं जिलावार समस्याओं को संकलित कर उपस्थापित किया जाए।

बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए एजेंसियों को किए जाने वाले भुगतान की दर का निर्धारण वर्ष–2013–14 में किया गया था। वर्त्तमान में प्रत्येक मद में लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है।

निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के भुगतान की दर में वृद्धि के लिए एजेंसियों के साथ हुए एकरारनामा एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया गया। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त योजना की अवधि विस्तार संबंधी प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप को यथाशीघ्र उपास्थापित किया जाए।

बैठक के अन्त में दिए गए निदेश के अनुसार दिनांक–17.03.2022 को सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ Virtual Mode में नोडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त मुख्य बिन्दु एवं निदेश निम्नवत् हैः–

1. <u>जिलावार प्रगति की समीक्षाः–</u> सर्वप्रथम सभी जिलों द्वारा प्रक्रमवार किए जा रहे कार्यो के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार प्रगति निम्नवत् पाई गई :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रथम चरण के कुल राजस्व ग्राम	मार्च–2022 के प्रथम सप्ताह तक ग्राम सीमा सत्यापित पूर्ण ग्राम	मार्च–2022 के प्रथम सप्ताह तक किस्तवार पूर्ण ग्राम	मार्च–2022 के प्रथम सप्ताह तक खानापुरी पूर्ण ग्राम
1	2	3	4	5	6
01.	मुंगेर	324	323	261	130
02.	शेखपुरा	314	314	202	69

03.	पश्चिमी चम्पारण	290	290	212	38
04.	सुपौल	256	256	152	29
05.	नालंदा	415	414	199	36
06.	जमुई	155	151	55	13
07.	सहरसा	130	130	44	04
08.	बेगूसराय	440	299	159	85
09.	मधेपुरा	116	50	13	04
10.	शिवहर	80	80	15	04
11.	पूर्णियाँ	110	95	42	03
12.	बांका	310	306	115	17
13.	कटिहार	185	173	67	09
14.	सीतामढ़ी	254	248	25	0
15.	लखीसराय	412	251	106	45
16.	अररिया	156	136	47	0
17.	जहानाबाद	253	177	26	01
18.	खगड़िया	163	133	13	01
19.	किशनगंज	460	276	22	0
20.	अरवल	316	201	24	02

उक्त प्रगति प्रतिवेदन के आलोक में निदेर्शित किया गया कि निम्नांकित तिथि के अनुसार जिले के प्रथम चरण अंतर्गत ग्रामों में अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया जाए।

क्र0 सं0	जिला का नाम	अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन की तिथि का लक्ष्य	क्र0 सं0	जिला का नाम	अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन की तिथि का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
01.	मुंगेर	31.05.2022	11.	पूर्णियाँ	30.06.2022
02.	शेखपुरा	30.06.2022	12.	बांका	15.07.2022
03.	पश्चिमी चम्पारण	30.06.2022	13.	कटिहार	30.06.2022
04.	सुपौल	30.06.2022	14.	सीतामढ़ी	30.07.2022
05.	नालंदा	30.06.2022	15.	लखीसराय	15.07.2022
06.	जमुई	15.07.2022	16.	अररिया	15.07.2022
07.	सहरसा	15.07.2022	17.	जहानाबाद	15.07.2022
08.	बेगूसराय	30.06.2022	18.	खगड़िया	31.05.2022
09.	मधेपुरा	30.06.2022	19.	किशनगंज	15.07.2022
10.	शिवहर	30.06.2022	20.	अरवल	31.05.2022

2. **जिलावार समीक्षा** :– उपर्युक्त प्रगति समीक्षा के साथ–साथ प्रत्येक जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उनके जिले से संबंधित समस्याओं को उपस्थापित किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	समस्या
01.	मुंगेर	• मुंगेर के बरियारपुर शिविर–2 के शिविर प्रभारी सुश्री सीमा किरण एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री आदित्य आंनद, विशेष सर्वेक्षण अमीन संग्रामपुर–3, मो0 सैफ वि0स0 अमीन, श्री गौतम कुमार, टेटिया बंबर शिविर–2 विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं राहुल पांडेय, असरगंज–1 का कार्य प्रणाली काफी असंतोषजनक है। इन्हें किसी अन्य जिलें में स्थानांतरित कर इनके स्थान पर अन्य को सुचारू रूप से सर्वेक्षण का कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाए। • 04 शिविर प्रभारी पदाधिकारी इस्तीफा दिए जाने के कारण शिविर संचालन में समस्या आ रही है। • शिविर स्तर पर शिविर कार्यालय एवं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
02.	शेखपुरा	• कुल 15 शिविरों में केवल 05 शिविर में शिविर प्रभारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित हैं। • 10 शिविरों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी नहीं रहने के कारण सुनवाई संबंधी कार्य में कठिनाई आ रही है। • कुछ स्थानों पर शिविर स्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है।
03.	पश्चिमी चम्पारण	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति ससमय नहीं की जा रही है। • कुछ सरकारी विभागों द्वारा जमीन की विवरणी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कठिनाई हो रही है। • एजेंसी द्वारा खेसरों की Parent Child Relationship Data उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कठिनाई हो रही है।
04.	सुपौल	• जिन रैयतों की भूमि नदी में गई है अथवा नदी के बाहर आ गई है, उसके संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है। • जिले में लगभग सभी गांवों में खेसरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए खानापुरी एवं सुनवाई में अधिक समय लग रहा है।

05.	नालंदा	• किस्तवार की प्रक्रिया को शीघ्रता के साथ निष्पादित करने से ग्राम–सीमा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। एक–दो ग्रामों में बाद में सुधार की कार्रवाई की गई है। • Reference खेसरा के छूट जाने की स्थिति में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है।
06.	जमुई	• जिन ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उनमें 24 मौजों का खतियान नहीं है। • पुरानी जमाबंदी के क्षतिग्रस्त होने तथा ऑनलाईन जमाबंदी की प्रविष्टियाँ समस्त खेसराओं का रकबा किसी एक खेसरा में प्रविष्ट होने के कारण कठिनाई हो रही है। • सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) कार्य करने में शारीरिक रूप से अक्षम है। अतः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) में पदस्थापना आवश्यक है।
07.	सहरसा	• राजस्व ग्रामों में खेसरों की संख्या अधिक होने के कारण खानापुरी में समय लग रहा है।
08.	मधेपुरा	• राजस्व ग्रामों में खेसरों की संख्या अधिक होने के कारण खानापुरी में समय लग रहा है।
09.	बेगूसराय	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति समय पर नहीं किए जाने कारण विलंब हो रहा है।
10.	शिवहर	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है।
11.	पूर्णियाँ	• कुल 110 राजस्व ग्रामों में 38 राजस्व ग्राम प्रतिबंधित क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राम–सीमा सत्यापित अपडेटेड और किस्तवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति समय पर नहीं किए जाने के कारण किस्तवार एवं खानापुरी के विलंब हो रहा है।

12.	बांका	• कटोरिया अंचल अंतर्गत मूल रूप से 28 राजस्व ग्राम बट्टा नं0 के आधार पर 379 नाम से अलग–अलग शीटों में विभक्त है, जिस कारण कठिनाई आ रही है। • चकबन्दी का खतियान फाईनल है और दखल कैडेस्ट्रल के अनुसार है। ऐसी स्थिति में प्रपत्र–5 तैयार करने के लिए किस सर्वे के खतियान को माना जाए। इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
13.	सीतामढ़ी	• सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के नहीं रहने के कारण कठिनाई हो रही है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कुल 205 मानचित्रों में मात्र 78 को अपडेट कर के वापस किया है।
14.	लखीसराय	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा समय पर अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण विलंब हो रहा है।
15.	अररिया	• बन्दोबस्त कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है। • अमीन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। 156 ग्रामों के लिए मात्र 89 अमीन उपलब्ध है। • विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री आर्यन कुमार द्वारा अपने दायित्त्वों का निर्वाहन सही ढंग नहीं किया जा रहा है, उनके स्थान पर दूसरे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की पदस्थापना की जाए।
16.	जहानाबाद	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ससमय अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति नहीं की जा रही है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा काफी विलंब से ETS उपलब्ध कराए जाने के कारण किस्तवार का कार्य ससमय निष्पादित नहीं किया जा सका।
17.	अरवल	• बन्दोबस्त कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ससमय अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति नहीं की जा रही है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा काफी विलंब से ETS उपलब्ध कराए जाने के कारण किस्तवार का कार्य ससमय निष्पादित नहीं किया जा सका।

18.	खगड़िया	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ससमय अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
19.	किशनगंज	• हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ससमय अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
20.	कटिहार	• कुल 185 राजस्व ग्रामों में 11 ग्राम प्रतिबंधित क्षेत्र अंतर्गत है। • हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ससमय अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

उपर्युक्त समस्याओं एवं प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गएः—

(i) सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को निदेशित किया गया कि अब तक सभी जिलों द्वारा प्रक्रमवार अपडेट करने के लिए जो भी मानचित्र एजेंसी को उपलब्ध कराए गए है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 10 अप्रैल 2022 तक अपडेट कर बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) जिन जिलों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) नहीं है, वहाँ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की पदस्थापना/प्रतिनियुक्त यथाशीघ्र की जाए।

(iii) जिन विशेष सर्वेक्षण शिविरों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ कानूनगो को शिविर का प्रभार देने पर विचार किया जाए।

(iv) जिलावार पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो/अमीन की पदस्थापना अनुपातिक रूप से जिलों के मध्य विभक्त करते हुए स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए।

(v) जिन विषयों यथा बट्टा नं0, नदी में समाहित भूमि इत्यादि के संबंध में निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन/समाधान दिए जाने की आवश्यकता है, वहाँ यथाशीघ्र मार्गदर्शन/समाधान उपलब्ध कराया जाए।

(vi) सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेते हुए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को खेसरों का **Parent Child Relationship Data** बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) विशेष सर्वेक्षण शिविरों एवं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निदेशालय स्तर से जिला के समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक को अनुरोध किया जाए।

(viii) जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा किया गया है, उनके विरूद्ध अविलंब कार्रवाई की जाए।

(ix) जिन जिलों में कम्प्यूटर ऑपरेटर पदस्थापित नहीं है, वहाँ उनकी पदस्थापना करने के संबंध में कार्रवाई की जाए।

अंत में सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि पूर्व में संसूचित लक्ष्य के अनुरूप 31.03.2022 तक सभी क्षेत्रीय कार्य सम्पादित कर लिया जाए तथा प्रत्येक दशा में आज की बैठक में निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रथम चरण के सभी ग्रामों के खतियान का प्रारूप प्रकाशन कर लिया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019......723...... **पटना, दिनांक:** 24-03-2022

प्रतिलिपि:– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019......723...... **पटना, दिनांक:** 24-03-2022

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019......723...... **पटना, दिनांक:** 24-03-2022

प्रतिलिपि:– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय/सहायक निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019......723...... **पटना, दिनांक:** 24-03-2022

प्रतिलिपि :– श्री राधामोहन प्रसाद, सेवा–निवृत, विशेष सचिव/श्री विनोद कुमार झा, बिहार भू–दान जाँच आयोग/ जावेद मंजर, वैज्ञानिक–ई, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......723..............**पटना, दिनांकः** 24-03-22

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......723..............**पटना, दिनांकः** 24-03-2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......723..............**पटना, दिनांकः** 24-03-2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......723..............**पटना, दिनांकः** 24-03-2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
24/3/22